	[illegible]
15-11-19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वादी/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विभाजन का वाद है। वादपत्र में प्राथमिक डिक्री की गयी है। अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु अवसर प्रदान किये लेकिन जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतः जवाब टी. आर. प्रा० पत्र प्रस्तुत अवसर बंद किया जाता है। व पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गयी है व तहसीलदार

[illegible]

क्रमशः

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

बनाम

ालय

या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	जयपुर से प्रस्ताव चाहे गये है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा ग्राम जामडोली तहसील जयपुर स्थित आराजीयात ख. नं. 223 रकबा 24.19 व ख. नं. 217/626, 224, 225 व 226 कुल रकबा 35 बीघा 09 बिस्वा में उभय-पक्ष को ता-वक्त निस्तारण तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल-शुमार नम्बर से कम हो। नि० प्र० सरे इजलास सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जयपुर [illegible] जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2019.12.05 12:35:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: